न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बलवन्त सिंह लिग्री , आर०ए०एस०

अपील संख्या 42/2016

1— रामेश्वर लाल पुत्र बिड़दाराम जाति जाट, निवासी मौलासर , तहसील डीडवाना , जिला नागौर, राजस्थान।

..............अपीलान्ट

बनाम

1— पटवारी हल्का, मौलासर, जिला नागौर (राज0)

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता—

1—श्री कमल किशोर मोठ, अधिवक्ता, अपीलान्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 31.08.2016 बअनुवान पटवारी हल्का, मौलासर, मु0नं0 24/2016 बअनुवान पटवारी हल्का मौलासर बनाम रामेश्वर लाल न्यायालय उप तहसीलदार मौलासर

निर्णय

दिनांक— 01.06.2018

अपीलार्थी की ओर से अपील का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मौलासर द्वारा ग्राम मौलासर के खसरा नम्बर 59 रकबा 05 बीघा गै0 मु0 रास्ता में से 00.07 बीघा भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिकमण करने की सूचना देने पर यह प्रकरण मु0 नं0 24/2016 दर्ज किया गया व अपीलार्थी को दिनांक 18.07.2016 के आदेश द्वारा नोटिस देकर तलब किया गया व पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 26.07.2016 को नियत की गई।

नोटिस प्राप्त होते ही अपीलार्थी की ओर से उसके अधिवक्ता मनफूल खॉ एडवोकेट उपस्थित होकर नियत दिनांक को वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि जवाब प्रस्तुत करना है, समय दिया जावें, परन्तु उस समय उपतहसीलदार साहब डीडवाना उनके पास नगरपालिका मण्डल, डीडवाना के अधिशाषी अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज था, आये हुए थे तथा रेवन्यू बाबू ने आईन्दा श्रीमान के आने पर तारीख बता देने की बात कही परन्तु उक्त बाबु ने तारीख नहीं बताई।

दिनांक 30.08.2016 को अपीलार्थी के अधिवक्ता ने एक और आवेदन न्यायालय श्रीमान के यहॉ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में सिविल कोर्ट

ड ड्वास ने एक दीवानी वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा के [illegible] के विरूद्ध विचाराधीन होने का हवाला देकर प्रकरण में कोई कार्यवाही सिविल कार्ट द्वारा निर्णित न कराने तक न करने का निवेदन किया, परन्तु दिनांक 31.08.2016 को उपतहसीलदार साहब, मौलासर ने बिना प्रुफ/सबुत व अपीलार्थी को सुने जैर अपील आदेश दिनांक 31.08.2016 पारित कर उसे राजकीय भू–भाग से बेदखल करने व लगान दर का पचास गुणा जुर्माना 1.00 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त आदेश से दुखी होकर यह अपील पेश है। आदेश की प्रमाणित नकल संलग्न अपील पेश है।

–: अपील के आधार :–

1-- यह है कि योग्य अदालत नातहत ने जैर अपील आदेश दिनांक 31.08.2016 को पारित करने में भारी तथ्यों एवं कानून की भूल की है, जिससे जैर अपील निर्णय रिक्त किये जाने योग्य है।

2-- यह है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 व 21 में स्पष्ट उल्लेख हैक कि प्रत्येक व्यक्ति को [illegible] करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यहाँ अपीलार्थी जरिये अधिवक्ता [illegible] हुआ है। तथा उसे नहीं सुना है। अधिवक्ता की अनुपस्थिति में [illegible] का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिये। यह विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है, योग्य अदालत नातहत ने इस तथ्य पर बिलकुल गौरा न कर भारी कानूनी त्रुटी की है [illegible] संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा है। जिससे जैर अपील निर्णय 31.08.2016 अपास्त (निरस्त) किये जाने योग्य है।

3 यह है कि अपीलार्थी ने मौलासर की शरहद में स्थित खसर नम्बर 62 की भूमि में से प्लॉट के रूप में खरीद कर उस पर रहवासी मकान बनाया है। अपीलार्थी अतिक्रमी नहीं है, अपीलार्थी का निर्मित रहवासी मकान खसरा नम्बर 62 में ही है, परन्तु राजनैतिक दुर्भावना से वर्तमान सरपंच हनुमानाराम पूनियां के दबाब में हल्का पटवारी ने गलत नाप बताकर यह कार्यवाही की है, परन्तु जवाब पेश करने का मौका न दिये जाने से यह तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं आ सके है। अतः जैर अपील निर्णय पारित करने में भारी तथ्यों की भूल हुई है। अतः यह निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

4 यह है कि अपीलार्थी के घर के सामने पश्चिम की ओर रास्ता खसरा नम्बर 59 बताया गया है। जिसमें सडक का निर्माण कार्य मनरेगा योजना के तहत हो रहा है सड़क निर्माण कार्य अपीलार्थी के मकान के उत्तर की तरफ से खसरा नम्बर 61 से आगे लगातार खसरा नम्बर 59 गैर मुमकिन रास्ता होना हैं। जिससे अपीलार्थी के

मकान के भाग का नाप कैसे हुआ क्यों हुआ समझ से पर है, उत्तर की ओर यदि अतिक्रमी है तो वह हटाना चाहिये था, परन्तु वर्तमान सरपंच से राजनैतिक द्वैषता के चलते यह गलत कार्यवाही हो रही है। अपीलार्थी ने वर्तमान सरपंच के विरूद्व दुर्भावना पूर्वक कार्यवाही करने के कारण थाना मौलासर मे प्र.सू. रिपोर्ट संख्या 89/2016 दर्ज करायी है, जिससे सरपंच मौलासर के प्रभाव में गलत आरोप लगा कर अतिक्रमी मनमाने ढंग से बताकर यह कार्वाही करायी गयी है। अतः जैर अपील निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

5—यह है कि अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 62 का भाग है। खसरा नम्बर 62 का माप होने पर ही वातविक स्थिति रिकॉर्ड पर आ सकती है, ऐसा नाप नहीं कराया गया है एवम् नाप के वक्त जरीब से नापने का केन्द्र बिन्दु भी उक्त रिपोर्ट में अंकित है। अतः जैर अपील निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह है कि शेष तथ्य वर वक्त बहस निवेदन किये जायेंगे।

7. यह है कि अपील अन्दर मियाद है, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार की है। जिस पर निर्धारित न्याय शुल्क पेश है। अतः अपील अपीलार्थी पेश कर सादर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाकर जैर अपील निर्णय दिनांक 31.08.2016 अपास्त कर निरस्त किया जाने का आदेश सादर फरमावें।

वकील अपीलान्ट की यह अपील दिनांक 05.09.2016 को पेश की, जो दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड हेतु तलबी जारी की गई अधिनस्थ न्यायालय का दिनांक 8.02.2016 को रिकोर्ड व रेस्पोडेन्ट तामील शुदा नोटिस प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया ।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में दिये विन्दुओ को दोहराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन व मनन किया गया। पटवारी हल्का मौलासर ने रिपोर्ट पेश की कि अप्रार्थीगण ने मौजा ग्राम मौलासर के खसरा नम्बर 59 रकबा 00.07 बीघा किस्म गैरमुमकीन रास्ता में से 05 बीघा भूमि पर दीवार, रेम्प निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण के खिलाफ भू राजस्व अधिनियम 1956की धारा 91 का प्रकरण संख्या 24/16 दर्ज कर निर्णय दिनांक 31.08.2016 द्वारा अप्रार्थीगण को ग्राम मौलासर के ख0नं0 59 रकबा 05 बीघा भूमि पर दीवार, रेम्प निर्माण कर गै0मु0 रास्ता की भूमि पर सम्वत 2072 में अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमि घोषित किया जाकर अप्रार्थीगण को उक्त

भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश दिया गया तथा 01/- रूपये का अर्थदण्ड से आरोपित किया गया।

अपीलान्ट ने अपील के आधार के बिन्दु संख्या 05 में बताया कि अपीलान्ट का मकान खन0 62 में है तथा ख0नं0 62 का माप होने पर ही वास्तविक स्थिति रिकॉर्ड पर आ सकती है ऐसा नाप नहीं करवाया गया है तथा नाप के वक्त केन्द्र बिन्दु भी रिपोर्ट में अंकित नहीं है। तथा रिपोर्ट में बताया की मौतबरान के रूबरू सीमाकंन किया गया परन्तु किसी भी मौतबरान के हस्ताक्षर फर्द मौका रिपोर्ट पर उपलब्ध नहीं है।फर्द मौका पर पटवारी डाकीपुरा व पटवारी हल्का मौलासर के हस्ताक्षर के निचे दिनांक 4.7.16 अकिंत है जबकी फर्द मौका दिनांक 14.7.16 को तैयार की हुई है। अप्रार्थी द्वारा जवाब हेतु समय चाहा तथा तारीख पेशी बताने को कहा तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख पेशी बाद में बताने का कह कर तारीख पेशी नही बताई गई तथा अप्रार्थी की गैर हाजरी में निर्णय कर दिया गया यह अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को सवैधानिक अधिकारो से वंचित रखा है। अतः यह साबित होता है कि अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया।

:::: आ दे श ::::

अधिनस्थ न्यायालय ने अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 24/16 पटवारी हल्का मौलासर बनाम रामेश्वर लाल में अप्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के अभाव में अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.1.16 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली इस निर्देश क साथ पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर प्रस्तुत जवाब व साक्ष्य का समुचित विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)